दिनांक 22.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना उसका बाजार

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के सोने–चांदी के आभूषण**
- **02 हजार 270 रूपये नगद**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 21/22.05.2025 की रात्रि थाना उसका बाजार व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुमदुमवा मोड़ पकड़ी के पास से अभियुक्त साहिल भंगू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चांदी के आभूषण, 02 हजार 270 रूपये नगद, 01 कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना उसका बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना उसका बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल भंगू निवासी एसटी नंबर 01 लोहरा ब्रिज मोहल्ला बेगुआना लोहोरा थाना ढाबा जनपद लुधियाना, पंजाब।

बरामदगी

1–लूट के सोने–चांदी के आभूषण।

2–02 हजार 270 रूपये नगद।

2–01 कार बरामद।

जनपद बांदा/थाना मटौन्ध

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद बांदा थाना मटौन्ध पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उड़ीसा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था, गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद महोबा, बांदा के विभिन्न थानों पर लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरेश कुमार निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

कमिश्नरेट आगरा/थाना शाहगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.05.2025 को थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथोली मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—तोहिद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—चांद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तोहिद निवासी थाना शाहगंज कमिश्नरेट आगरा।

2—चांद निवासी थाना शाहगंज कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20/21.05.2025 की रात्रि थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढ़ाना—बसी मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—विक्रान्त उर्फ विक्की 2—निखिल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विक्रान्त उर्फ विक्की निवासी ग्राम टांडा माजरा थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर।

2—निखिल निवासी ग्राम टांडा माजरा थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (कीमत) के 51 किलोग्राम गांजा बरामद**

दिनांक 21.05.2025 को थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुस्ता तिराहा ग्राम ककराला के पास से 02 अभियुक्तों 1–रंजन 2–जयंत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (कीमत) के 51 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रंजन निवासी ग्राम मावड़ा थाना सागोरदिधी मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।

2–जयंत निवासी ग्राम नोसीपुर थाना रानीतला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 10 लाख रूपये (कीमत) के 51 किलोग्राम गांजा।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना रूधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना रूधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147, 452, 302,149, 504, 506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मो0 याकूब 2–मो0 शमीम उर्फ सुर्तीअहवा 3–संतोष कुमार 4–संतोष राय 5–सूरज 6–शमशाद 7–गिरिजाशंकर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बिन्दकी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुधीर को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पप्पन 2–शरद 3–भगत सिंह 4–मोन्टी 5–संजय को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कप्तानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 12 वर्ष 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अमरेश को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त 2–गुरूप्रसाद को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सांडी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सांडी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शारूख को 10 वर्ष कठिन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 29 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मदन को 10 वर्ष कठोर कारावास व 29 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।